पत्रांक–03 / स्मार्ट सिटी–22–05 / 2015 228 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक– 13/02/17

विषयः– **स्मार्ट सिटी योजना के अधीन भागलपुर शहर में योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के A&OE मद के Part Payment के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की राशि ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन की स्वीकृति।**

स्वीकृत्यादेश सं0–227 दिनांक–13/02/17 के आलोक में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Smart City योजना प्रारंभ की गयी है। इस मिशन में राज्य भागलपुर शहर का नाम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित देश के 100 स्मार्ट सिटी के सूची में शामिल है। योजना के कार्यान्वयन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–K-15016/136(2)/2015-SC-I दिनांक–11.01.2017 द्वारा योजना के A&OE मद में Part Payment के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की राशि ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0 मात्र) विमुक्त की गई है। उक्त केन्द्रांश की विमुक्त राशि ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वितीय वर्ष 2016–17 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 423 दिनांक–31.03.16, पत्रांक–5193 दिनांक–28.06.16 एवं पत्रांक–811 दिनांक–12.08.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0 मात्र) की राशि माँग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–191 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0210– 100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना, विषय शीर्ष 3105–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–P2217031910210 पी0एफ0एम0एस0 कोड – 9478 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि 11000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13.2.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/स्मार्ट सिटी–22–05/2015 228 दिनांक– 13/02/17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.2.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/स्मार्ट सिटी–22–05/2015 228 दिनांक– 13/02/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-2-17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–03 / स्मार्ट सिटी–22–05 / 2015 2327 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 12/09/17

विषयः– **स्मार्ट सिटी योजना के अधीन भागलपुर शहर में योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के A&OE मद के Part Payment के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की राशि ₹ 300.00 लाख़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Smart City योजना प्रारंभ की गयी है। इस मिशन में राज्य भागलपुर शहर का नाम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित देश के 100 स्मार्ट सिटी के सूची में शामिल है। योजना के कार्यान्वयन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–K-15016/136(2)/2015-SC-I दिनांक–11.01.2017 द्वारा योजना के A&OE मद में Part Payment के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की राशि ₹ 300.00 लाख़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) विमुक्त की गई है। उक्त केन्द्रांश की विमुक्त राशि ₹ 300.00 लाख़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वितीय वर्ष 2016–17 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि ₹ 300.00 लाख़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 423 दिनांक–31.03.16, पत्रांक–5193 दिनांक–28.06.16 एवं पत्रांक–811 दिनांक–12.08.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रू0 मात्र) की राशि माँग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–191 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0210– 100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना, विषय शीर्ष 3105–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–P2217031910210 पी0एफ0एम0एस0 कोड – 9478 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि 11000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0–52/टि0 पर दिनांक– 10/02/2017 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–51/टि0 पर दिनांक–10/02/2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13-2-17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/स्मार्ट सिटी–22–05/2015 227 दिनांक– 13/02/17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-2-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/स्मार्ट सिटी–22–05/2015 227 दिनांक– 13/02/17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/अपर सचिव–सह–मिशन निदेशक, (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-2-17

सरकार के विशेष सचिव।